NOTIFICATION NO – 540/2024

NOTIFICATION DATE- 14-06-2024

NAME – GUDIYA BANO

SUPERVISOR NAME – PROF CHANDRADEV SINGH YADAV

DEPARTMENT - HINDI

TOPIC – MAITREYI PUSHPA KE KATHA SAHITYA MEIN STREE-CHETNA KI ABHIVYAKTI

KEYWORDS- पितृसत्ता, स्त्री चेतना, स्त्री संघर्ष, नवजागरण, स्त्री शोषण

FINDINGS

दुनिया भर में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। वह द्वितीय के रूप में चिह्नित की गयी। स्त्री को सामान्य नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। उसे मताधिकार के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। आधुनिक काल में हुए तमाम स्त्री आंदोलनों ने इसका रास्ता प्रसस्त किया। स्त्री का इतिहास इसी द्वितीय श्रेणी की नागरिकता के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। ऐसा नहीं है कि उसकी यह स्थिति मानव सभ्यता की शुरुआत से ही थी। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। आदिम अवस्था में जीवन-यापन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों साधन जुटाते थे इसलिए वर्चस्व की भूमिका नहीं थी। किंतु समाज जब आदिम अवस्था से आगे बढ़ा तो पशुपालन आजीविका का नया स्रोत बना। चूंकि पशुपालन का कार्य पुरुषों के हाथों में था। ऐसे में पशुधन पर पुरुष का अधिकार हुआ। स्त्री उस सम्पति का उपभोग कर सकती थी लेकिन उस पर उसका अधिकार नहीं था। पशुधन के बदले कबीलों में स्त्री की खरीद फरोख्त भी होती थी। पशुपालन स्त्री के गुलामी में एक निर्णायक मोड़ था। सामंतवादी दौर में उसकी स्थिति किसी

वस्तु जैसी थी जिसे जरूरत पड़ने पर खरीदा और बेचा जा सकता था। पूरे मध्यकाल में स्त्री को लेकर कहीं कोई परिवर्तनकामी पहल नहीं दिखाई देती है। संत और भक्त कवियों जिनके यहां जातिवाद, छुआछूत को लेकर समाज की गहरी आलोचना मौजूद है, उन्होंने भी स्त्री की निन्दा की है। उसे कमनीय और पुरुषों को पथभ्रष्ट करने वाला बताया है। स्त्रियों को लेकर यह धारणाएं आधुनिक समाज में आज भी मौजूद हैं।

स्त्री के प्रजनन जैसे सर्जनात्मक कार्यों को कमजोरी के रूप में देखा गया। धर्म ग्रंथो ने स्त्री पर नियंत्रण स्थापित करने में महती भूमिका निभायी। सभी धर्म के धर्म ग्रंथो में स्त्री को द्वितीय नागरिक के समान वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म की संहिताओं में उसे हमेशा पुरुष के संरक्षण में रहने की हिदायत दी गई है तो वहीं इस्लाम में उसे पति के अधीनस्थ रखा गया है। दूसरी तरफ ईसाई धर्म में स्त्री को पुरुष के ही एक हिस्से से निर्मित बताया गया है। धार्मिक किताबें जो अतीत में कानून के रूप में मान्य थीं आज भी समाज में स्त्री के जीवन को नियंत्रित करने में महती भूमिका निभाती हैं। धर्म के आवरण में लिपटी हुई पितृसत्तात्मक शक्तियों ने स्त्री की यौनिकता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। धार्मिक आचार व्यवहार के नाम पर तरह-तरह के नैतिक मर्यादाएं स्त्री पर थोपी गई।

स्त्री को धार्मिक मान्यताओं के जाल में उलझा कर कर्मकांडी बनाया जाता है। बचपन से ही उसको धर्मभीरू बने रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज ने स्त्री और पुरुष के लिए दोहरे मानक निर्धारित किए हैं। जन्म से शुरू हुआ यह पक्षपात स्त्री आजीवन झेलती है। अधिकांश स्त्रियों को किशोरावस्था में वैसे शिक्षा-दीक्षा प्राप्त नहीं होती जैसी उनके भाइयों को उपलब्ध है। मध्यकाल तक तो स्त्री-शिक्षा का मतलब ही धार्मिक और घरेलू या गृहस्थ शिक्षा से था।